

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/एल 2-35/2021

पटना, दिनांक :- / /2025

डा० ज्योति गुप्ता, सहायक प्राध्यापक (संविदा-BHS), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया को बिहार सेवा संहिता के नियम-220A तथा वित्त विभागीय संकल्प सख्या-640 दिनांक-19.01.2015 के आलोक में दिनांक-10.02.2023 से 20.06.2023 तक कुल-131 दिन एवं दिनांक-01.07.2023 से 29.06.2024 तक कुल-365 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/एल 2-35/2021 - 617 (17) पटना, दिनांक :- 09 / 06 /2025

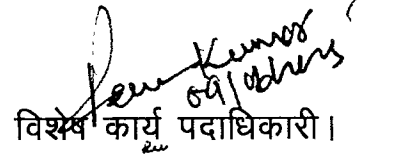
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एव ह०) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० ज्योति गुप्ता, सहायक प्राध्यापक (संविदा-BHS), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।